

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 06/2022-23 के मुख्य पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/ईआईसीआई/सी/डेल्ही/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 06/ 2022-23



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) के संबंध में आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग प्रभारों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 09.06.2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

अध्याय 11. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.4.1	चूंकि मैसर्स ईआईसीआई द्वारा दिल्ली हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा 'मटीरियल' है किंतु "प्रतिस्पर्धी नहीं" है, इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए "प्राइस कैप अप्रोच" आधार पर टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है।	11
अध्याय संख्या 4	4.5.1	प्राधिकरण ईआईसीआई डेल्ही के लिए तालिका 10 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) में परिवर्धनों को मानने का निर्णय लेता है। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के दौरान आरएबी के परिवर्धनों को टूअप करने का निर्णय लेता है।	28
	4.5.2	प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैसर्स ईआईसीआई पूँजीगत व्यय योजना पर दृढ़ है, पूँजीकरण की समय-सारणी के अनुसार कैपेक्स लक्ष्य प्राप्त न किए जाने की स्थिति में टूअप के दौरान अगली नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूँजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% राशि कम करने का निर्णय लेता है।	
	4.5.3	प्राधिकरण तालिका 11 के अनुसार टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से औसत आरएबी को मानने का निर्णय लेता है।	
	4.5.4	प्राधिकरण तालिका 12 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को मानने और अगली नियंत्रण अवधि के दौरान मूल्यहास को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	4.5.5	चूंकि मैसर्स ईआईसीआई का परिसंपत्ति आधार कम है इसलिए प्राधिकरण "आरएबी पर प्रतिलाभ" के बजाए "राजस्व पर 5% प्रतिलाभ" प्रदान करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5	5.5.1	ईआईसीआई डेल्ही के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के प्रयोजन से तालिका 14 में बताए अनुसार अनुमानित टन भार को मानना। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि में टैरिफ निर्धारित करने के दौरान टनभार को टूअप करने का निर्णय लेता है।	31
अध्याय संख्या 6	6.5.1	प्राधिकरण तालिका 16 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि में प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	39
अध्याय संख्या 7	7.5.1	प्राधिकरण तालिका 26 के अनुसार विनियमित राजस्व और विविध राजस्व को मानने का निर्णय लेता है। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक आकंड़ों के आधार पर राजस्व को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	48
अध्याय संख्या 8	8.5.1	प्राधिकरण तालिका 28 में बताए अनुसार अनुमानित कर देयता को मानने का निर्णय लेता है। प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के दौरान कर देयता को टूअप करने का निर्णय लेता है।	50
अध्याय संख्या 9	9.5.1	प्राधिकरण मैसर्स ईआईसीआई, डेल्ही के संबंध में तालिका 31 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और टैरिफ वृद्धि का निर्णय लेता है।	53
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान एआरआर को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण तालिका 35 में बताए अनुसार अनुमानित राजस्व और व्यय को मानने का निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि में अनुमानित राजस्व और व्यय को टूअप करने का निर्णय लेता है।	57

अध्याय 12. आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स ईआईसीआई डेल्ही को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए संलग्नक -II के अनुसार कार्गो सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों सभी लागू करों को छोड़कर, उच्चतम दरों हैं।
- (iii) निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iv) संशोधित टैरिफ दरों **01 जुलाई, 2022** से लगाई जाएगी।
- (v) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री नितीन दवे, सीएफओ,
एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया,
501, क्रिस्टल सेन्टर, रहेजा विहार,
ऑफिस चांदीवाली फार्म रोड़,
मुम्बई-400072

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – **110 003**
2. श्री के. नारायण राव, निदेशक, डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल -3 के सामने, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037

ऐरा द्वारा आईजीआईए, दिल्ली में ईआईसीआई कूरियर कार्गो सेवाओं के लिए जारी किए गए अंतरिम आदेशों का
विवरण

- (i) दिनांक 31.03.2016 का आदेश संख्या 50/2015-16 (01.04.2016 से 30.09.2016)
- (ii) दिनांक 29.09.2016 का आदेश संख्या 11/2016-17 (01.10.2016 से 31.03.2017)
- (iii) दिनांक 31.03.2017 का आदेश संख्या 19/2016-17 (01.04.2017 से 30.09.2017)
- (iv) दिनांक 29.09.2017 का आदेश संख्या 12/2017-18 (01.10.2017 से 31.03.2018)
- (v) दिनांक 28.03.2018 का आदेश संख्या 43/2017-18 (01.04.2018 से 30.09.2018)
- (vi) दिनांक 28.09.2018 का आदेश संख्या 21/2018-19 (01.10.2018 से 31.03.2019)
- (vii) दिनांक 25.03.2019 का आदेश संख्या 48/2018-19 (01.04.2019 से 30.09.2019)
- (viii) दिनांक 26.09.2019 का आदेश संख्या 08/2019-20 (01.10.2019 से 30.03.2020)
- (ix) दिनांक 24.03.2020 का आदेश संख्या 33/2019-20 (01.04.2020 से 30.09.2020)
- (x) दिनांक 29.09.2020 का आदेश संख्या 46/2020-21 (01.10.2020 से 31.03.2021)
- (xi) दिनांक 25.03.2021 का आदेश संख्या 67/2020-21 (01.04.2021 से 30.09.2021)
- (xii) दिनांक 15.09.2021 का आदेश संख्या 12/2021-22 (01.10.2021 से 31.03.2022)
- (xiii) दिनांक 17.03.2022 का आदेश संख्या 46/2021-22 (01.04.2022 से 30.09.2022)

